राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक .....148..... /अलवर/.....11-12.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....वैष्णवी शिक्षा संस्थान,

.....कठूमर..... जिला .....अलवर..... का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक.....बारह..... माह .....सितम्बर..... सन् दो हजार .....ग्यारह.....

को अलवर में दिया गया।

रजिस्ट्रार, संस्थायें

अलवर।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते है।
2. बालिग हों।
3. पागल, दीवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।

1. संरक्षण
2. विशिष्ठ
3. सम्मानीय
4. साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम 4 में अंकित सदस्यों इनका निम्न प्रकार व चंदा देय होगा

1.	संरक्षक	राशि	आजन्म
2.	विशिष्ट	राशि	आजन्म
3.	सम्मानीय	राशि	वार्षिक/आजन्म
4.	साधारण	राशि ......500/-.........	वार्षिक/आजन्म

7. सदस्यता का निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1. मृत्यु होने पर
2. त्यागपत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये पाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठक :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित कोरम की कोई स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थापित बैठक में आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इसमें से जो भी हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर - अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 जिन सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी करेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।

प्राचार्य

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

वैष्णवी शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान कठूमर

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम वैष्णवी शिक्षा समिति / सोसाइटी / संस्थान कठूमर व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लक्ष्मणगढ़ रोड बस स्टैण्ड, कठूमर है।

तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रदेश क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य :-

1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने हेतु हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय व महाविद्यालय स्थापित कर संचालन करना।

2. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु छात्रावास की व्यवस्था करना एवं स्थानीय लोक कलाओं व लोक कलाकारों को प्रकाश में लाना व आधुनिक जीवन [illegible] व्यवस्था प्रतिपादित करना।

3. कृषि, व्यावसायिक, चिकित्सा, कौशल एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना।

4. समाज के उपेक्षित रोगी-दुखी एवं असहाय व्यक्तियों को संरक्षण व सहारा प्रदान करना।

5. स्वच्छ ग्राम, जल संरक्षण व वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक कृषि के प्रति जागरूकता तथा महिला उत्थान हेतु उन्हें शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाना।

उद्देश्य क्र. सं. 1 से 5 तक है।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

प्राचार्य
वैष्णवी महाविद्यालय
कठूमर (अलवर) राज.

अध्यक्ष

मंत्री

[illegible]

8. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं – इस संघ विकास पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं–

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री खेमसिंह S/o श्री देवीसिंह	अध्यापक	198 गाँव कठूमर (अलवर)	[signature]
2	" जगदेव कुमार S/o " फूलचन्द	अध्यापक	म.नं. 24 जाट कॉलोनी, सिवाना रोड, खैरथल (अलवर)	[signature]
3	श्रीमती संतोष W/o " राजपालसिंह	समाज सेवी	477 जोरीर तह. खेतड़ी जिला · झुन्झुनू (राज.)	संतोष
4	" कमला W/o " सतेन्द्र कुमार	गृहणी	213 कठूमर (अलवर) राज.	कमला
5	" लक्ष्मी W/o " देवासिंह	गृहणी	213 जाट मौहल्ला, कठूमर (अलवर)	लक्ष्मी
6	" सोनदेई W/o " [illegible]राम	गृहणी	म.न. 238 गाँव अरौआ तह. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	सोनदेई
7	" [illegible] W/o " शिवचरण	समाज सेवी	14 मीणा मौहल्ला खानोली तह. कठूमर (अलवर)	[signature]
8	" मुक्तिकारी W/o " विजयसिंह	समाज सेवी	म.न. 190 गाँव कठूमर (अलवर) राज.	मुक्तिकारी
9	श्री उमेश [illegible] (शिक्षु) लाल	तकनीशियन	1545 चौकीदार जोगी मौहल्ला महवा (दौसा) राज.	[signature]
10	सुश्री सुमन D/o " धुड़न लाल	[illegible]	[illegible] खटीक मौहल्ला, [illegible]कठूमर (अलवर)	सुमन
11	श्री रामनारायण S/o " ग्यारसी-लाल	समाज सेवक	2809 रास्ता जाट का कुंआ जयपुर	रामनारायण
12	श्रीमती धौली W/o " सीताराम	समाज सेवी	म.न. [illegible]2, गाँव मैंथना तह. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	धौली
13	श्री राजन S/o " देवी सिंह	अध्यापक	म.न. 82 हउआ चौक गाँव-सुंदरा तह. नगर (भरतपुर)	[signature]
14	" नारायण S/o " चिरंजी	अध्यापक	म.न. 64 गाँव राजोली तह. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	नारायण
15	" रामनिवास S/o " इन्द्रा राम	समाज सेवक	159, डूकियों का बास, सिंघाना तह. डीडवाना जिला नागौर	रामनिवास

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

प्राचार्य
वैष्णवी महाविद्यालय
कठूमर (अलवर) राज.

साक्षी
हस्ताक्षर
(राजपत्रित अधिकारी)
मय मोहर

साक्षी
हस्ताक्षर
(राजपत्रित अधिकारी)
मय मोहर

मंत्री

कोषाध्यक्ष

4. संस्था का कार्यभार संस्थान के नियमानुसार एवं कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	श्री राजन S/o श्री देवीसिंह	अध्यापक	म.न. 82 दाउआ रोड गाँव पुंदरा तह. नगर जिला - भरतपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती मुख्तियारी W/o श्री विजयसिंह	समाज सेवी	म.न. 190 गाँव कठूमर (अलवर) राज.	उपाध्यक्ष
3	श्री खेमसिंह S/o श्री देवी सिंह	अध्यापक	198 गाँव कठूमर जिला - अलवर	मन्त्री
4	श्री जगदेव कुमार S/o श्री फूलचंद		म.न. [illegible] कालोनी [illegible] रोड, खैरथल वार्ड न. 11 तह. किशनगढ़ जिला - अलवर	उपमंत्री
5	श्रीमती लक्ष्मी W/o श्री खेम सिंह	गृहणी	213 जाट मोहल्ला, कठूमर (अलवर)	कोषाध्यक्ष
6	श्रीमती भावना W/o श्री सत्येन्द्र कुमार	गृहणी	213 कठूमर (अलवर) राज.	सदस्य
7	श्रीमती संतोष W/o श्री राजपाल सिंह	समाज सेवी	477 जैरोर तह. खेतड़ी जिला - झुन्झुनू (राज.)	सदस्य

संस्था का पंजीयन क्रमांक 118/अलवर/11-12
संस्था का नाम वैष्णवी शिक्षा संस्थान, कठूमर
~~किस्म — संघ-विधान पत्र~~
[illegible] की संख्या ... 1 ...
दिनांक ...12/9/11...

[illegible]

प्राचार्य
वैष्णवी महाविद्यालय
कठूमर (अलवर) राज.

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

वैष्णवी शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान कठूमर

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम वैष्णवी शिक्षा समिति / सोसाइटी / संस्थान कठूमर

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लक्ष्मणगढ़ रोड, बस स्टैण्ड, कठूमर (अलवर) राज. – 321605 तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रदेश क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य :-

1. शिक्षा का प्रचार - प्रसार करने हेतु हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय व महाविद्यालय स्थापित कर संचालन करना।

2. अनुसूचित जाति - जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु छात्रावास की व्यवस्था करना एवं स्थानीय लोक कला व कलाकारों को प्रोत्साहित करना व आधुनिक जीवन शैली में इनकी महत्ता प्रतिपादित करना।

3. बुनियादी, व्यवसायिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्थाएं स्थापना कर संचालन करना।

4. समाज के उपेक्षित रोगी, वृद्ध, विकलांग एवं असहाय व्यक्तियों को सम्मान व सहारा प्रदान करना।

5. स्वच्छ ग्राम, जल संरक्षण व वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक कृषि के प्रति जागरूकता तथा महिला उत्थान हेतु इन्हें जागरूक व आत्मनिर्भर बनाना।

उद्देश्य क्र. 1 से 3 तक है।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

प्राचार्य
वैष्णवी महाविद्यालय
कठूमर (अलवर) राज.

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

3. मंत्री

1. बैठक आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य आवश्यक हों।

4. उपमंत्री

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2. अन्य दैनिक कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

5. कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : **संस्था का कोष निम्न प्रकार से वंचित होगा।**

1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से वंचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्येक्ष/ मंत्री / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैठक में लेन-देन होगा।

17. कोष संबंधी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की ।। राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष 20,000/- रू०
2. मंत्री 20,000/- रू०
3. कोषाध्यक्ष 10,000/- रू०

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा दी जावेगी।

18. संस्था का अंकेक्षा : संस्था के समस्त लेखा-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाओं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 1/3 बहुमत परिवर्तन या परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा, जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधि० 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल-अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राज० संस्था रजिस्ट्रेशन अधि० 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे-जोखें : का निरीक्षण रजिस्ट्रार संस्थाऐं, अलावर को संस्था के रिकार्ड की निरीक्षण / जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ..... समिति / सोसायटी / संस्थान ..... की सही व सच्ची प्रति है।

प्राचार्य

11. **कार्यकारिणी का गठन :** संस्था के कार्य को सुचारू से चलाने के लिए **एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा,** जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक
3. मंत्री - एक 4. उपमंत्री - एक
5. कोषाध्यक्ष - एक 6. सदस्य - ....2.....

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें तो यहा अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....05.................... पदाधिकारी व ....02............ सदस्य कुल ....07.............................. सदस्य होंगे।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन :**
1. संस्था के प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष / ~~अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा~~ किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. **कार्यकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :** संस्था की कार्यकारिणी के **निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे-**
1. सदस्य बनाना / निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. **कार्यकारिणी की बैठकें :**
1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती हैं।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक को सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में कराना आवश्यक होगी।

15. **प्रबन्धकारिणी के प्रदाधिकारीयों के अधिकार :** **संस्थाकि प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगें।**

1. अध्यक्ष
   1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
   2. (मत बराबर आने का निर्णायक मत देना।)
   3. बैठकें आहूत करना।
   4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
   5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
2. उपाध्यक्ष
   1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
   2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

संस्था ... क्रमांक 148/अलवर/11-12
संस्था ... वैष्णवी शिक्षा संस्थान, कदूसर
... 12/9/11

प्राचार्य
वैष्णवी महाविद्यालय
कदूसर (अलवर) राज.

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष